

11366

//नोटिस//

5/2/19


स्वशासी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर में पूर्व से निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित पदावधि (Tenure) से पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में **वॉक-इन-इंटरव्यू** हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

**जूनियर रेसीडेन्ट (निश्चित वेतन रु.36,000/- प्रतिमाह)**

DEPARTMENT	TOTAL POST	UR	ST	SC	OBC
DERMATOLOGY	3	2	0	1	0
PSYCHIATRY	3	1	1	0	1
T.B. & CHEST DIS.	0	0	0	0	0
OBST.& GYNAEC.	4	2	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

दिनांक 09.07.19 को स्कूटनी समय 11:30 बजे से तथा दिनांक 10.07.19 को साक्षात्कार का समय 11:30 बजे रहेगा।

नोट:- साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।  
मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम के आदेश क्रमांक के प्रावधान अनुसार सभी स्नातक/स्नातकोत्तर छात्र जिनका चयन जूनियर रेसीडेन्ट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि वे बांड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाएँ देंगे। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बाण्ड की शर्तें लागू हो जाएगीं और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

  
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.गॉ.स्मू.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय  
स्वशासी संस्था, इन्दौर


**वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु नियम एवं शर्तें।**

- आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार।
- पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। रिक्तियों की कैटेगिरी में परिवर्तन किया जा सकता है।
- उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है तथा 3 प्रतिशत पद विकलांग हेतु आरक्षित है।
- सीनियर रेसीडेन्ट हेतु अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी।
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।
- अवधि : जूनियर रेसीडेन्ट की सेवा-अवधि (Tenure) तीन वर्ष की होगी। इनकी प्रथम: 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात् सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01-01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी।
- नियुक्ति का तरीका : योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस./डीएनबी सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
- आवेदन शुल्क : जूनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ रु. 600/- (छ: सौ) एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को रु. 300/- (तीन सौ)। राशि का बैंक ड्राफ्ट अधिष्ठाता म.गॉ.स्मू.चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के नाम देय होना चाहिये। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी को पूरा नाम, विषय का नाम, पता एवं फोन नं. लिखना आवश्यक है। किसी भी अवस्था में राशि लौटायी नहीं जावेगी।
- शैक्षणिक योग्यता:-  
**जूनियर रेसीडेन्ट हेतु:-** जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनांक से पिछले तीन वर्ष के अन्दर एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है वे ही इस पद के लिये पात्र होंगे। जूनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने इसी चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
- यात्रा भत्ता :- साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।
- आयु सीमा:- साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

**अन्य शर्तें :**

- इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेन्ट्स से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
- आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
- उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
- सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।

6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
8. जूनियर रेसीडेन्ट के पद पर चयनित उम्मीदवार को आवश्यकतानुसार अन्य स्थान पर कार्य/ सी.एम.ओ. ड्यूटी करने हेतु आदेशित किया जा सकता है।
- साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।

  
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय  
स्वशासी संस्था, इन्दौर

क्रमांक/ / छात्र./स्था/2019  
प्रतिलिपि:

इन्दौर, दि.

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर म.प्र. शासन के आदेश क्रं. एफ-4-7/2010/1/55 दि. 25.08.10 एवं एफ-1-03/2017/55-2 भोपाल दिनांक 04.04.2017 एवं 1274-79/स्था/राज/2019 भोपाल दिनांक 31.05.2019 के परिपालन में।
2. अधिष्ठाता: मेडिकल कॉलेज, भोपाल / जबलपुर / ग्वालियर एवं रीवा की ओर भेजकर निवेदन है कि अपने कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर उक्त नोटिस चस्पा करने का कष्ट करे।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, को सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चस्पा करने हेतु।
4. समस्त नोटिस बोर्ड चिकित्सा महाविद्यालय/म.य.चिकित्सालय/छात्रावास/लायब्रेरी।

॥  
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय  
स्वशासी संस्था, इन्दौर